कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री श्री गणेश इण्टरप्राइजेज, सी-44, पटेल नगर-II, गाजियाबाद ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**004/ 17, 08.03.2017**
प्रार्थी की ओर से	**श्री हरीश सचदेवा, अधिकृत प्रतिनिधि / सी0ए0 ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री श्री गणेश इण्टरप्राइजेज, सी-44, पटेल नगर-II, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 08.03.2017 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

"Whether 'photographic color paper' is covered in entry no. 6 of UP Tax on entry of Goods into Local Area Act, 2007 and therefore, liable to entry tax ?"

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री हरीश सचदेवा, अधिकृत प्रतिनिधि / सी0ए0 उपस्थित हुए । उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया ।

3. एड़ीशनल कमिश्नर,ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन प्रथम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-633, दिनांक 05.05.2017 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची - II ए के क्रमांक-92 एव 99 निम्नवत अंकित है :-

92	Paper of all kinds (including newsprint when sold to person other than news paper publishers) handmade paper and gum tape, whether meant for writing, printing, copying, packing or for any other purpose excluding cellophane, mill board, duplex board and grey board.....
99	Photographic paper ; X-ray Film

परन्तु धारा-59 के अन्तर्गत दिनांक 28-02-2008 को कलर फोटोग्राफिक पेपर के सम्बन्ध में कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा सर्वश्री हनुमान ट्रेडर्स, कोडाक इण्डिया लि0, 240 मुनसाफी (नियर घण्टाघर), गाजियाबाद के धारा-59 के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पारित आदेशानुसार क्रम संख्या-92 निम्नवत है :-

92	Paper of all kinds (including newsprint when sold to person other than news paper publishers) handmade paper and gum tape, whether meant for writing, printing, copying, packing or for any other purpose excluding cellophane, mill board, duplex board and grey board; plywood, flushdoor and blockboard, hardwares, millstores.

उपरोक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत सभी प्रकार के पेपर का उल्लेख है तथा जिन वस्तुओं को एक्सक्लूड किया गया है उसमें कलर फोटोग्राफिक पेपर अंकित नही है । इन परिस्थितियों में कलर फोटोग्राफिक पेपर को सभी प्रकार के पेपर की श्रेणी में मानना न्यायोचित होगा ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2016-17 में रिर्टन दाखिल किये गये है तथा खरीद-बिक्री विधिवत घोषित की गयी हैं, जो कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है । इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के

.....2

मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । अत: प्रश्नगत वस्तु पर कर की दर का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार नहीं किया जा सकता है । अत: प्रश्नगत बिन्दु कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन होने के कारण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा-59 की परिधि में न आने के कारण ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन प्रथम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया है । प्रार्थी द्वारा वर्ष 2016-17 में रिर्टन दाखिल किये गये है जो कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है । इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है । अत: प्रश्नगत वस्तु पर कर की दर का विनिश्चय उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार नहीं किया जा सकता है । प्रार्थी द्वारा माह-मई, 2016 के रिटर्न दाखिल किये गये हैं जो कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन है । अत: प्रश्नगत बिन्दु कर निर्धारण की कार्यवाही में विचाराधीन होने के कारण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र धारा-59 की परिधि में न आने के कारण ग्राह्य नहीं है ।

6. प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये ।

दिनांक 18 दिसम्बर, 2017

ह0/ 18.12.2017

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।